

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक:—एफ16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2018/6595

जयपुर, दिनांक
१२/५/१९

आदेश

विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ16(16)(5) परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2018/3817 दिनांक 06.03.2019 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 5309 दिनांक 29.03.2019 की निरन्तरता में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किए जा रहे कर संग्रहण को Online E-Grass/ E-Banking के माध्यम से जमा कराने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. परिवहन कार्यालयों में वाहनों (गैर परिवहन/परिवहन) के सभी प्रकार के कर जमा का कार्य वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए 5000/- तक की राशि की सीमा के अधीन किया जाएगा।
2. ई-ग्रास एवं ई-बैंकिंग के माध्यम से कर जमा की व्यवस्था यथावत् जारी रहेगी।
3. मोटर वाहन उपनिरीक्षक/निरीक्षक के स्तर पर किसी भी प्रकार के कर संग्रहण का कार्य नहीं किया जावेगा।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।



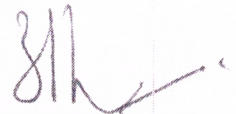
(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांक:— एफ16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2018/6597-6600 जयपुर, दिनांक

१२/५/१९

प्रतिलिपी:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय
2. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त, प्रशा०।
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही करावें।



(जे.पी.मीणा)
वित्तीय सलाहकार